उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
39/021	136 LR Act	बावड़ीखेड़ा	छबड़ा

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
मुरलीधर	बनाम	राज सरकार (2021/201)

वकील :- राजेश भार्गव **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
17/11/021	अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 LR Act विरुद्ध अप्रार्थीगण के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिश्ता का अवलोकन किया गया, प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावें तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब कर रिपोर्ट ली जावे बाबत रिपोर्ट पत्रावली दिनांक 5/01/2022 को पेश हो। [signature] 26/11/21	
5/01/22	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य मे व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनांक 12.01.22 को पेश हो। [signature] रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	
7/3/22	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य मे व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनांक 14.3.22 को पेश हो। [signature] रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	
14/3/22	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य मे व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनांक 19.4.22 को पेश हो। [signature] रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश
3/8/22	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य मे व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनांक 31/8/22 को पेश हो। रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा)
31/8/22	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य मे व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनांक 15/11/22 को पेश हो। रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा)
15/11/22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार छबड़ा से रिपोर्ट अप्राप्त। पुन: तहसीलदार छबड़ा को लिखा जावे। वास्ते रिपोर्ट तहसीलदार पत्रावली दिनांक 14/12/22 को पेश हो।
14/12/22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त। बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम बावडीखेडा में संयुक्त स्थित पैतृक आराजी खाता संख्या 2 किता 6 रकबा 12.17 बीघा भूमि स्थित है। इसी तरह खाता संख्या 3 किता 3 रकबा 3.07 बीघा भूमि संयुक्त खातेदारी में स्थित है। उक्त वादग्रस्त आराजी पूर्व में पैतृक होने से प्रार्थी के पिता कान्हा पुत्र पन्ना कौम ब्राह्मण निवासी बावडीखेडा के नाम दर्ज खाता चली आ रही थी। प्रार्थी के पिता कन्हैयालाल का बोलता नाम दादा पन्ना के फौती इन्तकाल के समय कान्हा दर्ज होगया जबकि हमारे पिता का वास्तविक नाम कन्हैयालाल है। पिता कन्हैयालाल के फौत होने के पश्चात फौती इन्तकाल नम्बर 291 ग्राम बावडीखेडा के उक्त नामान्तकरण में प्रार्थी के वास्तविक नाम मुरलीधर के स्थान पर ~~मु~~ बोलता नाम मुंशीलाल अंकित कर दिया उस इन्तकाल के आधार पर वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी में भी मुरलीधर की जगह मुंशीलाल दर्ज होगया।
उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा)	

कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
प्रार्थी का वास्तविक नाम मुरलीधर ही है। समस्त सरकारी दस्तावेज, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, सेकण्डरी बोर्ड अंक तालिका, बैंक पासबुक, राशन कार्ड एवं अन्य ग्राम कोरा में स्थित जमाबन्दी खाता संख्या 279/285 ख.न. 233 रकबा 7.19 बीघा में प्रार्थी का नाम मुरलीधर ही दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ लेने से वंचित हो रहा है तथा अपने हिस्से की आराजीयात का विकास करने में भी असमर्थ है जिससे प्रार्थी को भारी क्षति उठानी पड रही है।	
प्रार्थी का बोलता नाम मुंशीलाल एवं पिता का नाम कान्हा राजस्व कर्मचारियान की लापरवाही से दर्ज हुआ है जबकि प्रार्थी व पिता का वास्तविक नाम मुरलीधर पिता कन्हैया लाल है। समस्त दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम मुरली धर पुत्र कन्हैयालाल दर्ज होने से प्रार्थी उक्त त्रुटि को दुरस्त कराने का अधिकारी है।	
अत: श्रीमान प्रार्थी का बोलता नाम मुंशीलाल के स्थान पर मुरलीधर एवं पिता कान्हा के स्थान पर कन्हैया लाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने की कृपा करें।	
(हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	
सरकार पेशकार ने अवगत कराया कि ग्राम बावडी खेडा की जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 2 व 3 में प्रार्थी का नाम मुंशीलाल पुत्र कान्हा दर्ज है। उक्त नाम प्रार्थी के पिता कान्हा के फौत होने पर नामा० न० 254 दिनांक 13.7.1993 से मौजा बावडी खेडा खातासं० 22 में दर्ज हुआ। तथा प्रार्थी के दस्तावेजों में आधार कार्ड राशन कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग व पहचान कार्ड आदि में प्रार्थी का नाम ~~मुंशीलाल के स्थान~~ मुरलीधर पुत्र कन्हैयालाल दर्ज है। अत: प्रार्थी का नाम व पिता का अशोधनीय नाम मुंशीलाल के स्थान पर मुरलीधर उर्फ मुंशीलाल एवं पिता कान्हा के स्थान पर कन्हैयालाल उर्फ कान्हा शुद्ध किये जाने की अनुशंसा की जाती है। अशोधनीय नाम शुद्ध किया जाना उचित होगा। (हस्ताक्षर)	

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश

इसमें प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि ग्राम बावडीखेड़ा तहसील छबड़ा की ~~खाता~~ जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता 2 में प्रार्थी का नाम मुंशीलाल पुत्र कान्हा दर्ज होना पाया जाता है इसी प्रकार खाता संख्या 3 में भी प्रार्थी का नाम मुंशीलाल पुत्र कान्हा दर्ज होना पाया जाता है। जबकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड, सैकण्डरी स्कूल परीक्षा 1981 की मार्कशीट में एवं वोटर आई डी में प्रार्थी का नाम मुरलीधर पुत्र कन्हैयालाल दर्ज होना पाया जाता है। इससे साबित होता है कि प्रार्थी का नाम बचपन में बोलता नाम सहवन से पिता की मृत्यु के पश्चात मुंशीलाल दर्ज किया गया है जो अशोभनीय भाषा में होने से शुद्ध मुरलीधर किया जाना हम उचित समझते है।

मुताबिक तहसीलदार छबड़ा की रिपोर्ट के आधार पर एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसरण में ग्राम बावडीखेड़ा तहसील छबड़ा के खाता संख्या 2 व 3 में प्रार्थी के अशोभनीय नाम मुंशीलाल के स्थान पर मुरलीधर एवं पिता कान्हा के स्थान पर कन्हैयालाल शुद्ध/शोभनीय भाषा में नाम किया जाना उचित होगा।

अतः ग्राम बावडीखेड़ा तहसील छबड़ा के खाता संख्या 2 व 3 में प्रार्थी का अशोभनीय नाम मुंशीलाल के स्थान पर मुंशीलाल उर्फ मुरलीधर एवं पिता का नाम कान्हा के स्थान पर ~~कन्हैयालाल~~ कान्हा उर्फ कन्हैयालाल दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार छबड़ा को दिये जाते है तहसीलदार छबड़ा तदनुसार पालना सुनिश्चित करे। निर्णय/आदेश की प्रति तहसीलदार छबड़ा को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)